Website Link: prgi.gov.in

PRGI

PRESS REGISTRAR GENERAL OF INDIA

भारत के प्रेस महापंजीयक

भारत सरकार

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु शीर्षकों की स्वीकार्यता संबंधी दिशानिर्देश

प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम 2023 की धारा 2(छ) के साथ पठित धारा 5(3)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) भारत में प्रकाशित होने वाली नियतकालिक पत्रिकाओं, जिनमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, के पंजीकरण के लिए शीर्षकों की स्वीकार्यता और उपलब्धता संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करते हैं।

ये दिशानिर्देश दिनांक 01.07.2025 से लागू किए गए हैं तथा समय-समय पर जारी किए गए पूर्व दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन करते समय नए शीर्षक प्रस्तावित करने से पहले पीआरजीआई की वेबसाइट (prgi.gov.in) पर उपलब्ध अब तक पंजीकृत सभी शीर्षकों की पूरी सूची देख लें। साथ ही, आवेदक प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी नियतकालिक पत्रिका के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों को पढ़ सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं।

1. प्रस्तावित शीर्षक में यथासंभव एक से अधिक शब्द होने चाहिए जो विशिष्ट एवं सार्थक शब्दों के संयोजन से बने हों। व्यापक या मूल शब्दों वाले शीर्षक पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। व्यापक या मूल शब्द वे शब्द हैं जिन्हें आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। (जैसे मंथन, दर्पण, इन्सपायर, सक्सेस, खुलासा, रहस्य, कथा, मलार, मुखी, हेराल्ड, नुक्कड़, आदि)
2. प्रस्तावित शीर्षक अद्वितीय होने चाहिए और ध्वन्यात्मक या दृशयात्मक रूप से किसी भी मौजूदा सत्यापित/पंजीकृत शीर्षक के समान नहीं होने चाहिए ,चाहे वह पूरे देश में एक ही भाषा में हो या एक ही राज्य में किसी भी अन्य भाषा में हो।
3. शीर्षक सार्थक और स्पष्ट होने चाहिए। ऐसे शीर्षकों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े नकारात्मक अर्थ वाले हों, अश्लील, बेतुके या सार्वजनिक भावनाओं

को ठेस पहुँचाने वाले हों या जिनका दुरुपयोग "अपराध", "भ्रष्टाचार" आदि शब्दों के साथ किया जा सकता हो।

4. संक्षिप्ताक्षरों (abbreviations), परिवर्णी शब्दों (acronyms) या अंकों (numerals) पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वे अन्य शब्दों के साथ सार्थक और उपयुक्त रूप से जुड़े हों।
5. उन शीर्षकों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा जो मौजूदा से पूरी तरह से या आंशिक रूप से मिलकर बने हों या शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करके या ऐसे गैर-विशिष्ट शब्दों को सम्मिलित करके बने हों, जिनसे एक अलग ही शीर्षक न बनता हो।
6. किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाने वाले शीर्षक प्रस्तावित नियतकालिक पत्रिका के स्वामी या प्रकाशक के नाम नहीं होने चाहिए। (उदाहरण: "राजन टाइम्स", "दीपक समाचार", "जितेंद्र न्यूज़", आदि)।
7. शीर्षकों में अपाठ्य वर्ण या किसी भी प्रकार के संकेत, गणितीय प्रतीकों (जैसे "+", "*", आदि)सहित कोई भी प्रतीक, चित्रलिपियाँ, फोटोग्राफ़, हॉलमार्क, लोगो, मोनोग्राम, ध्वनिचित्र (phonograms), इमोजी आदि शामिल नहीं होने चाहिए।
8. उन शीर्षकों को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिन्हें किसी मौजूदा शीर्षक के आगे या पीछे सामान्य या दोहराव वाले शब्द जोकर बनाया गया हो, जैसे शहर या राज्य का नाम, आवधिकता या भाषा जोड़ना, या पहले से मौजूद शीर्षक में आर्टिकल्स (ए, एन, द), पूर्वसर्ग या विशेषण जोड़कर बनाए जाने वाले शीर्षक। (उदाहरण: द टाइम्स, डेली दैनिक, वीकली, वी/वार्ता, आज, टुडे, एक्सप्रेस, न्यूज, खबर, समाचार, बुलेटिन, डायरी, इंडिया, नेशनल, राष्ट्रीय, "साप्ताहिक वीकली ", "संध्या इवनिंग", या "डेली दैनिक समाचार" आदि)।
9. यदि यह पाया जाता है कि कोई शीर्षक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क उल्लंघन, न्यायालय की अवमानना और मानहानि सहित किसी न्यायिक निर्णय का उल्लंघन करता है, तो उसे पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
10. उन शीर्षकों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सार्वजनिक शालीनता पर प्रभाव डालने वाले तथा अशांति या अव्यवस्था उत्तेजित करने वाले शब्द हों।
11. किसी राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य से मिलते-जुलते शीर्षक या केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों/संवैधानिक निकायों/सांविधिक निकायों के साथ भ्रामक जुड़ाव का आभास देने वाले या "संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950" या किसी अन्य प्रवृत्त कानून का उल्लंघन करने वाले शीर्षक पंजीकृत नहीं किए जाएंगे।
12. किसी भी भाषा में सरकारी विभागों/ संगठनों, विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों (जैसे "पुलिस", "ब्यूरो", "जांच विभाग", "सतर्कता", "सीआईडी", "सीबीआई", आयोग, रक्षा प्रतिष्ठान, आदि), विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे, संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम

संगठन) के नाम वाले शीर्षक, या सरकार, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट आदि जैसे शब्द या केंद्र/राज्य सरकारों या उसके संगठनों या स्थानीय निकायों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम वाले ऐसे शीर्षक, जो उनके साथ भ्रामक जुड़ाव का आभास देते हों, पंजीकृत नहीं किए जाएंगे।

13. ऐसे शीर्षक जो भारत से बाहर किसी अन्य देश, शहर या स्थान से संबद्धता दर्शाते हों किन्तु नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशन के राज्य या स्थान से मेल नहीं खाते हों, पंजीकृत नहीं किए जाएँगे (उदाहरण: "साउथ अफ्रीका टाइम्स", "कनाडा टाइम्स", या "न्यूयॉर्क मिरर")।
14. राष्ट्रीय नेताओं के नाम वाले शीर्षक या प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं, सरकार के प्रमुखों और केंद्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के नामों से मिलतेजुलते शीर्षक पंजीकृत नहीं किए - जाएँगे। तथापि, मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों द्वारा आवेदन किए जाने पर संबंधित संगठन के नाम पर विचार किया जा सकता है।
15. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ सैटेलाइट टीवी चैनल/एफएम रेडियो/सामुदायिक रेडियो स्टेशन के रूप में पंजीकृत शीर्षक तब तक पंजीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनके स्वामी या उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है (उदाहरण: "न्यूज नेशन", "न्यूज टाइम", "आजतक न्यूज", "आकाशवाणी टाइम्स", "दबंग न्यूज" आदि जैसे शीर्षक उन चैनलों के स्वामियों के अलावा अन्य आवेदकों के लिए पंजीकृत नहीं किए जाएंगे)।
16. यदि किसी प्रसिद्ध नियतकालिक पत्रिका के शीर्षक से मिलते-जुलते शीर्षकों का उपयोग उस प्रसिद्ध नियतकालिक पत्रिका के मौजूदा स्वामी के अलावा किसी और व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रसिद्ध नियतकालिक पत्रिका के साथ किसी भी प्रकार से जुड़े होने की गलत/भ्रामक धारणा से बचा जा सके।
17. विज्ञापन (Ad या advertisement), वर्गीकृत विज्ञापन (classifieds), निविदा (टेंडर), कैलेंडर, पंचांग, मैट्रीमोनियल, येलो पेजेस/ पेजेस (आमतौर पर व्हाइट, पिंक, आदि उपसर्ग के साथ), पैम्फलेट, ब्रोशर, निर्देशिका, या ऐसे किसी भी प्रकाशन का उपयोग करने वाले शीर्षक जिन्हें नियतकालिक पत्रिका नहीं माना जा सकता है, पंजीकृत नहीं किए जाएंगे।
18. इन दिशानिर्देशों के बिंदु 3 और 9 से 13 के तहत निर्दिष्ट श्रेणियों में आने वाले शीर्षक वाली मौजूदा नियतकालिक पत्रिका के नए संस्करणों के पंजीकरण या उनके स्वामित्व हस्तांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

*****